

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग  
अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-14/एम 7-230/2009(अंश) 1311 पटना, दिनांक... 31/8/15 बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-18 की उपधारा-27 एवं धारा-22 की उपधारा (1)(ट) यथा अद्यतन संशोधित में वर्णित प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 15/एम व 3-070/93 उ0शि0-2771 दिनांक 06.09.10 को अवक्रमित करते हुए बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के अधिषद (Senate) एवं अभिषद (Syndicate) के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है:-

अधिषद (Senate) के सदस्य :-

क्र0 नाम एवं पता


- डा0 सत्येन्द्र कुमार सिंह, व्याख्याता, इतिहास विभाग, अक्षयवट महाविद्यालय, महुआ।

अभिषद (Syndicate) के सदस्य :-

क्र0 नाम एवं पता

- डा0 इकबाल मौहम्मद शमी, काम्पोलेक्स, हकीम तौहीद लेन, छोटी सरैयागंज, मुजफ्फरपुर।
  - प्रो0 (डा0) संजय कुमार सिंह, राधिकापुरी, कलमबाग चौक, मुजफ्फरपुर।
  - श्री नरेन्द्र पटेल, ओरियेन्ट क्लब, आम गोला, पो0-रमना, जिला-मुजफ्फरपुर
2. मनोनीत सदस्यों की कालावधि (tenure) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से तीन वर्षों की होगी।


बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
(सुनील कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञाप संख्या:-14/एम 7-230/2009(अंश)-- 1311

पटना, दिनांक..... 31/8/15

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


  
संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञाप संख्या:-14/एम 7-230/2009(अंश)-- 1311

पटना, दिनांक..... 31/8/15

प्रतिलिपि :- सभी मनोनीत व्यक्तियों/संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- आई0टी0 मैनेजर से अनुरोध है कि वे इसे विभागीय वेब साईट पर अपलोड कर दें।

  
संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग